तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
04.7.23	दोनों पक्षों के वकील उप। PO काफी अवकाश पर रहते हैं। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव बहस दिनांक 18.7.23 को पेश हो।
18.7.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु। प्रतिवादी संख्या 01 के वकील उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वकील वादी लम्बे समय से विभाजन प्रस्ताव पर बहस नहीं कर रहे हैं और जान बूझकर प्रकरण को लंबित करना चाहते हैं जो वादी पक्ष की अनुपस्थिति में इसलिए बहस सुनी जाकर निर्णय पारित करें। इस पर पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे पाया कि विभाजन प्रस्ताव आदेशिका दिनांक 11.1.23 में शामिल पेश किया गया। इसके पश्चात वकील वादी द्वारा आदेशिका दिनांक 29.3.2023 व 04.4.2023 को बहस करने हेतु आगे अवसर लिए गए। पेशी दिनांक 22.6.23 को उपस्थित नहीं हुए हैं और आज भी उपस्थिति नहीं दी गई है। जो कि सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए गए हैं जिन्हें न्यायालय कमरे में आवाजें दिलवाई गई लेकिन उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसी सूरत में विभाजन प्रस्ताव पर आंशिक बहस वकील प्रतिवादी सुनी गई और दौरान बहस विभाजन प्रस्ताव में दर्शित वारिसान के अनुसार डिक्री करवाने पर सहमत है जिसका वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वारिसान के अनुसार अंतिम निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। डिक्री वास्ते वादी को ~~[illegible]~~ निर्णय की एक प्रति संलग्न वाद के साथ रखी जाए। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.07 17:02:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 10 / 2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बिशनसिंह पुत्र श्री शिवलाल		1.रायमलसिंह पुत्र मानसिंह
जाति राजपुरोहित		जाति राजपुरोहित निवासी चांदेसरा
निवासी कनाना तहसील पचपदरा		तहसील पचपदरा,जिला बाड़मेर
		2.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 18.7.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा भीमरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 309 क्षेत्रफल 07 बीघा 11 विस्वा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 11.02.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर ,तहसीलदार पचपदरा को मौके पर पक्षकारान का माफिक कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाया [illegible] किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से विभाजन [illegible] को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा भीमरलाई तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 309 क्षेत्रफल 07 बीघा 11 विस्वा भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.07 17:02:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म भूमि	बरंग
1	बिशनसिंह पुत्र शिवलाल कौम राजपुरोहित 1/4 हिस्सा सा. कानाना खातेदार	भीमरलाई	309	1–18	बा.अ.	नक्शे में दर्शित परिशिष्ट ब अनुसार
2	रायमलसिंह पुत्र मानसिंह कौम राजपुरोहित सा.चांदेसरा 3/4 हिस्सा	भीमरलाई	309	5–13	बा.अ.	नक्शे में दर्शित परिशिष्ट ब अनुसार

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तरदीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.07 17:02:49 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
विशनसिंह पुत्र श्री शिवलाल जाति राजपुरोहित निवासी कनाना तहसील पचपदरा		1.रायमलसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चांदेसरा तहसील पचपदरा 2.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 10 / 2019

निर्णय दिनांक :—18.07..2023

वादी की ओर से श्री ओमप्रकाश डाभी अधिवक्ता की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री चेलाराम कुमावत की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.07.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 18.07.2023 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.07..2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से [illegible] कर [illegible]ई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.07 17:02:49 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा